न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बीट्रेटर, श्रीगंगानगर
विविध एन.एच.(पुनर्विलोकन **याचिका)**
प्रकरण संख्या 36 / 2023(GCMS 2023/341)

1. **अमृतपाल सिंह उर्फ सेवक सिंह** पुत्र डिप्टी सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मोड़ा तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **शिवराज सिंह** पुत्र डिप्टी सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मोड़ा तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
3. **सतनाम सिंह** पुत्र डिप्टी सिंह जटसिख निवासी 46 एफ मोड़ा तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **भारत संघ** जरिये सेक्रेट्री सरफेस ट्रान्सपोर्ट एवं नेशनल हाईवे, नई दिल्ली
2. **भारतीय नेशनल हाईवे** जरिये जनरल मैनेजर 5 व 6 सेक्टर 10, द्वारिका, नई दिल्ली
3. **परियोजना निदेशक,** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, 191 कोर्ट रोड़, नजदीक सिटी पुलिस स्टेशन, हनुमानगढ टाऊन, **हनुमानगढ़**
4. **सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति)** एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर
5. **राजस्थान राज्य** जरिये मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. **अधिशाषी अधिकारी,** नगर पालिका, श्रीकरणपुर।
7. **सहायक निदेशक,** उद्यान विभाग, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.12.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अमृतपाल सिंह, शिवराज सिंह एवं सतनाम सिंह की ओर से श्री विकास खीचड़ अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.10.2023 पर यह पुनर्विलोकन(Review) प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता को एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि भूमि ग्राम 12 ओ के मुरब्बा नम्बर 29 की उक्त कृषि भूमि अवाप्ति की सूचना के प्रकाशन के पूर्व ही श्रीकरणपुर नगरपालिका क्षेत्र की [illegible] अवस्थित नगरिय क्षेत्र की सिंचित कृषि भूमि है, जिसका मुआवजा [illegible] का निर्धारण सा[illegible] बारानी भूमि मानकर किया गया है। उक्त कृषि भूमि के संलग्न भूमि में बनी डिग्गी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:05:23 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

द्वारा सिंचित कृषि भूमि है, इस बाबत ना तो हल्का पटवारी द्वारा और ना ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा काई जांच या मौका रिकॉर्ड स्थिति का मुआयना किया गया है। इसलिए प्रार्थीगण उक्त निर्णय दिनांक 26.10.2023 को दुरूस्त करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि आदेश दिनांक 26.10.2023 पारित करते समय सहायक निदेशक उद्यान विभाग की मूल्यांकन रिपोर्ट एवं आयुक्त उद्यान की राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 05.05.2022 को गठित राज्य कमेटी की तथ्यात्मक रिपोर्ट पर ध्यान न देकर दिनांक 10.06.2022 को तहसीलदार, श्रीकरणपुर द्वारा पेश की गई मौका फर्द के आधार पर प्रार्थीगण की अपील खारिज कर आदेश पारित किया गया है, जबकि नियमानुसार उद्यान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ही बागवानी के मुआवजा राशि की गणना की जानी थी। इसलिए प्रार्थीगण के राजस्व रकबा एवं मौका रिकॉर्ड स्थिति की पुनः जांच कर एवं प्रार्थीगण को सुनकर संशोधित अवार्ड जारी करने हेतु यह **पुनर्विलोकन(Review)** प्रार्थना पत्र ''सिविल प्रक्रिया संहिता'' के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, क्योंकि इसमें ''सिविल प्रक्रिया संहिता'' के पुनर्विलोकन (Review) प्रावधान लागू होते है।

मैनें प्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 54/2022 अनवान् अमृतपाल सिंह वगैरहा बनाम भारत संघ वगैरहा में दिनांक 26.10.2023 को निर्णय पारित किया गया था, जिसके द्वारा उसका प्रकरण खारिज कर दिया गया था और नेशनल हाईवे द्वारा प्रार्थी की अवाप्त भूमि के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा देय निर्धारित मुआवजा का सही माना गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश की अप्रसन्नता से यह पुनर्विलोकन(Review) प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा ''सिविल प्रक्रिया संहिता'' के प्रावधानों के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को पुनर्विलोकन(Review) करने की प्रार्थना की हैं। प्रार्थीगण का मूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:05:23 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रकरण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(5) के अन्तर्गत प्रस्तुत हुआ था। निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा उक्त प्रकरण में उक्त आदेश दिनांक 26.10.2023 मध्यस्थ की हैसियत से पारित किया गया है। इस प्रकार इस राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की 3जी(5) के प्रार्थना पत्र पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(6) के प्रावधान लागू होगें। **धारा 3जी(6) निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:**

> इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, **माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 (1996 का 26) के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक माध्यस्थम को लागू होंगें।**

चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(5) पर पारित आदेश दिनांक 26.10.2023 निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा मध्यस्थ के रूप में माध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत पारित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 और मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 में मध्यस्थ द्वारा पारित किसी भी आदेश को पुनर्विलोकन(Review) करने का प्रावधान नहीं हैं। जब उक्त अधिनियमों में रिव्यु का कोई प्रावधान नही है तो ऐसी अवस्था में सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत क्या इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.10.2023 पर कोई पुनर्विचार हो सकता है अथवा नहीं? यदि पुनर्विलोकन(Review) हो सकता है तो ही आगे गुणदोष पर विचार किया जायेगा अन्यथा नहीं?

चूंकि प्रार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पुनर्विलोकन (Review) करने की प्रार्थना की गई है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 का अवलोकन किया गया जिसमें केवल सक्षम प्राधिकार (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी को ही **राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत ही निम्न शक्तियां दी गई है अर्थात सीमित रूप से इसी बिन्दु पर ''सिविल प्रक्रिया संहिता'' लागू की गई है:**

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshdeep Ralh
Date: 2024.01.01 16:05:23 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

> **3I. Competent authority to have certain powers of civil court.-**
> The competent authority shall have, for the purposes of this Act, all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), in respect of the following matters, namely:--
> (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
> (b) requiring the discovery and production of any document;
> (c) reception of evidence on affidavits;
> (d) requisitioning any public record from any court or office;
> (e) issuing commission for examination of witnesses.

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3I के तहत उक्त प्रावधानों को ही लागू किया गया है। **राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता को** पुनर्विलोकन(Review) **की शक्तियां नहीं दी गई। माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 19(1) भी** अवलोकनीय **है, जो निम्न प्रकार से है :**

> 19. **Determination of rules of procedure : (1)** The arbitral tribunal shall not be bound by the Code of Civil Procedure, 1908(5 of 1908) of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872)

इस प्रकार इस अधिनियम में भी सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते है। **चूंकि उक्त दोनों अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 में** पुनर्विलोकन**(Review) का कोई प्रावधान नहीं है तो क्या ऐसी अवस्था में ''सिविल प्रक्रिया संहिता'' के तहत पुनर्विलोकन (Review) हो सकता है अथवा नहीं?, इस संदर्भ में भी माननीय उच्चतम न्यायालय का [illegible] द्वारा AIR 2010, SUPREMECOURT 3745 M/s Kalabharati Advertising V Hemant Vimalnath Narichania and Ors.** के पैरा संख्या 11 से [illegible] अवलोकनीय है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:05:23 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

11. We have considered the rival submissions made by both the parties and perused the record.

LEGAL ISSUES:

Review in absence of statutory provisions:

12. **It is settled legal proposition that unless the statute/ rules so permit, the review application is not maintainable in case of judicial/quasi-judicial orders**. In absence of any provision in the Act granting an express power of review, it is manifest that a review could not be made and the order in review, if passed is ultra-vires, illegal and without jurisdiction. (vide: Patel Chunibhai Dajibha v. Narayanrao Khanderao Jambekar & Anr., AIR 1965 SC 1457; and Harbhajan Singh v. Karam Singh & Ors., AIR 1966 SC 641).

13. In Patel Narshi Thakershi & Ors. v. Shri Pradyuman Singhji Arjunsinghji, AIR 1970 SC 1273; Maj. Chandra Bhan Singh v. Latafat Ullah Khan & Ors., AIR 1978 SC 1814; Dr. Smt. Kuntesh Gupta v. Management of Hindu Kanya Mahavidhyalaya, Sitapur (U.P.) & Ors., AIR 1987 SC 2186; State of Orissa & Ors. v. Commissioner of Land Records and Settlement, Cuttack & Ors., (1998) 7 SCC 162; and Sunita Jain v. Pawan Kumar Jain & Ors., (2008) 2 **SCC 705, this Court held that the power to review is not an inherent power. It must be conferred by law either expressly/specifically or by necessary implication and in absence of any provision in the Act/Rules, review of an earlier order is impermissible as review is a creation of statute. Jurisdiction of review can be derived only from the statute and thus, any order of review in absence of any statutory provision for the same is nullity being without jurisdiction.**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:05:23 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

> 14. Therefore, in view of the above, the law on the point can be summarised to the effect that in absence of any statutory provision providing for review, entertaining an application for review or under the garb of clarification/ modification/correction is not permissible. Case dismissed/withdrawn- effect on interim relief:

चूंकि उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के अन्तर्गत मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश पर पुनर्विचार करने का कोई प्रावधान नहीं हैं। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांतों के अनुसरण में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.10.2023 पर किसी प्रकार से पुनर्विचार नही हो सकता। इसलिए उक्त न्यायिक दृष्टातों के मागदर्शन में प्रार्थीगण का रिव्यु प्रार्थना पत्र दिनांक 29.11.2023, एडमिशन की स्टेज पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर, बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर

श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:05:23 IST
Reason: SelfAttested